"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 मार्च 2012—फाल्गुन 13, शक 1933

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-10/2012/वा.क.(आब.)/पांच (06).—स्वापक औषधियां और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं.-61) की धारा-8 तथा 10 के साथ सहपठित धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रापिक सब्सटेन्सेज (छत्तीसगढ़) नियम, 1985 में अध्याय-3अ पोस्ता भूंसा नियम (नियम-37-क से 37-न तक) एवं प्ररूप (पी.एस-1 से 10 तक) को संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) अध्याय 3-अ पोस्ता भूंसा नियम को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

नियम 37-क -पोस्ता भूंसा का प्रतिषेध— इन नियमों के उपबन्धित के सिवाय, अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियम और आदेश के उपबन्धों के द्वारा उपबन्धित रीति और सीमा तक और इस अध्याय के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या दिये गये प्राधिकार की शर्तों और निर्बन्धनों के अनुसार केवल औषधीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये छोड़कर, इन नियमों में उपबन्धित के सिवाय, पोस्ता भूंसा का कब्जा, परिवहन, अन्तर्राज्य आयात, अन्तर्राज्य निर्यात, भंडारण, बिक्री, खरीदी, उपभोग और उपयोग प्रतिषिद्ध है.

नियम 37-ख -पोस्ता भूंसा की बिक्री के लिए डिपो— पोस्ता भूंसा के प्रदाय के लिए डिपो ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त निर्देशित करे. डिपो में प्रदाय के लिये आवश्यक पोस्ता भूंसा ऐसे स्थान या स्थानों से प्राप्त किया जा सकेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देशित करें.

नियम 37-ग -- —विलोपित—

नियम 37-घ-पोस्ता भूंसा का प्रदाय/बिक्री --

(एक) चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए प्रारूप पी.एस.-2 में प्रदत्त थोक विक्रय अनुज्ञप्तिधारी तथा अधिकृत भण्डारण भाण्डागार अधिकारी के सिवाय, कोई भी व्यक्ति पोस्ता-भूंसा प्रदाय/विक्रय नहीं करेगा

(दो) विलोपित.

(तीन) विलोपित.

नियम 37-ङ-अनुज्ञापन प्राधिकारी और अनुज्ञप्ति फीस—

(1) प्ररूप पी.एस.-2 अनुज्ञप्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित निर्बंधन तथा शर्तों के अधीन निविदा द्वारा मंजूर की जाएंगी. सम्पूर्ण राज्य के लिए पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी पॉपी-स्ट्रा का भण्डारण करेगा एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत भण्डारण भाण्डागार तक मांग अनुसार मात्रा का प्रदाय करेगा. (पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी पॉपी-स्ट्रा उत्पादक राज्यों में से किसी एक राज्य का थोक अनुज्ञप्तिधारी अवश्य होगा.)

[(2) प्ररूप पी.एस.-2 में अनुज्ञप्ति, एक वर्ष या उसके भाग के लिए 1,00,000 रुपये अनुज्ञप्ति फीस के रूप में संदाय करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर की जावेगी अथवा नवीकृत की जा सकेगी.]

(3) उस व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जायेगी जो--

- (i) भारत का नागरिक न हो;
- (ii) 21 वर्ष से कम आयु का हो;
- (iii) अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में बुरे चरित्र का हो;
- (iv) विकृत चित्त का हो और सक्षम न्यायालय के द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो;
- (v) दिवालिया निर्णीत किया जाने वाला आवेदक है या अनुमोचित दिवालिया हो;
- (vi) किसी दांडिक अपराध में जो नैतिक अद्यमता (Moralturpitude) का है उसमें न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो, या
- (vii) राज्य आबकारी विभाग के द्वारा काली सूची कर दिया गया हो.

नियम 37-च-अन्तर्राज्य आयात— प्रारूप पी.एस.-2 में अनुज्ञप्ति धारित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी ही अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा प्रदत्त पास के अनुसार पोस्ता भूंसा अन्तर्राज्य आयात कर सकता है. (अंतर्राज्यीय आयात के लिये पास रु. 10/- प्रति किलो ग्राम की दर से आयात फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्ररूप पी. एस.-4 में जारी किया जाएगा.)

नियम 37-छ-अन्तर्राज्य निर्यात—

(1) प्रारूप पी.एस.-2 में अनुज्ञप्ति धारित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी के सिवाय कोई भी व्यक्ति पोस्ता भूंसा का अन्तर्राज्य निर्यात नहीं करेगा.

(2) प्रारूप पी. एस.-2 में अनुज्ञप्ति धारित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी जो पोस्ता भूंसा का अन्तर्राज्य निर्यात करने का विचार करता है वह अन्तर्राज्य निर्यात पास के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को आवेदन देगा.

ऐसा आवेदन पत्र, वैध आयात पास या अन्तर्राज्य आयात करने वाले राज्य के आबकारी प्राधिकारी के द्वारा उस अनुज्ञप्तिधारी को जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सहित होगा और उसके द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि इस प्रकार आयात किया गया पोस्ता भूंसा चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगा.

(3) उप नियम (2) के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी, आयात अंतर्राज्यीय पास या अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उप नियम (2) के अंतर्गत पेश "अनापत्ति प्रमाण पत्र" में दी

गई मात्रा के लिए प्रारूप पी.एस.-4 में अंतर्राज्य निर्यात पास अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान कर सकता है जो कि परेषण के साथ रहेगा और वह अभिवहन (transit) के दौरान खोला नहीं जायेगा.

[(3-क) प्ररूप पी.एस.-4 में कोई निर्यात पास तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक पी.एस.-2 का अनुज्ञप्तिधारी, निर्यात की जा रही पॉपी-स्ट्रा के चूर्ण रूप में या दले हुए रूप में होने की दशा में, रुपये 7.50 प्रति किलोग्राम की दर से और यदि चूर्ण रूप में/पिसे हुए रूप में नहीं हैं तो रुपये 5 प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस अग्रिम में जमा नहीं करता.]

[(4) विलोपित]

[(5) पापी-स्ट्रा चाहे वह चूरे के रूप में/पीसे हुए रूप में हो या अन्यथा हो पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल ऐसे मानक (स्टेण्डर्ड) बोरों (गनी बैग्स) में निर्यात किया जाएगा जिनमें प्रत्येक में ऐसी मात्रा होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए]

नियम 37-ज-परिवहन—

(1) पापी-स्ट्रा का परिवहन प्ररूप पी.एस. 5- मे पास के प्राधिकार के अधीन किया जाएगा, परंतु प्ररूप पी.एस.7 या पी.एस. 10 में अनुज्ञापत्र धारण करने वाला व्यसनी पास के बिना ऐसे अनुज्ञा-पत्र या अनुज्ञा में वर्णित सीमा तक पापी-स्ट्रा का परिवहन कर सकेगा.

पॉपी-स्ट्रा के डिपो (पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी) से संलग्न जिले के आबकारी विभाग के जिला आबकारी द्वारा प्ररूप पी.एस.-5-ए में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर डिपो जिस जिले में स्थापित है, वहां के आबकारी विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रारूप पी.एस.-5 में परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पॉपी-स्ट्रा का प्रदाय/परिवहन किया जाएगा.

(2) पी.एस.-2 के एक अनुज्ञप्तिधारी से दूसरे पी.एस.-2 के अनुज्ञप्तिधारी को पापी-स्ट्रा का परिवहन 2/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन फीस का संदाय करने पर अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(3) विलोपित

(4) विलोपित

(5) शुल्क या परिवहन फीस, उस जिले में जमा की जाएगी जिसमें विक्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसर स्थित है.

(6) पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी (डिपो) से सम्बद्ध जिले के आबकारी विभाग के जिला अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्ररूप पी.एस.-5-ए में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के विरुद्ध डिपो जिस जिले में स्थापित है, वहां के आबकारी विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्ररूप पी.एस.-5 में परिवहन अनुज्ञापत्र या पास जारी किया जाएगा.

[(7) पापी-स्ट्रा का, जो चूरे के रूप में/पीसे हुए रूप में हो, परिवहन पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी से केवल ऐसे मानक (स्टेण्डर्ड) बोरों में अनुज्ञात किया जाएगा जिनमें प्रत्येक में ऐसी मात्रा होगी, जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए.]

नियम 37-झ-अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्रदाय/विक्रय का स्थान— प्रारूप पी.एस.-2 में अनुज्ञप्ति धारित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट स्थान या परिसरों के सिवाय किसी अन्य स्थान या परिसरों मे पोस्ता भूंसा का प्रदाय नहीं करेगा. पॉपी-स्ट्रा का फुटकर विक्रय राज्य के अधिकृत भण्डारण भाण्डागारों से किया जाएगा.

नियम 37-ञ-अनुज्ञप्ति की शर्तों के पालन के लिए बंध पत्र—

(1) किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से अस्वीकार करना अनुज्ञापन प्राधिकारी के स्वविवेक पर होगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति, शर्तों के सम्यक् रूप से पालन करने के लिये जिसके अधीन यह प्रस्तावित हो कि उसके ऐसी शर्तों में से किसी एक को भंग करने या ऐसे भंग किये जाने के लिये कारित करने या अनुमति देने की स्थिति में या उस अवधि की समाप्ति के पूर्व जिसके लिये कि वह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी उस अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित व्यापार को छोड़ने

की स्थिति में बंधपत्र में नामांकित राशि के अनधिक प्रतिकर (Compensation) जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी निर्धारित करे, पटाने के लिये बन्धपत्र नहीं दे देता है.

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रतिकर का भुगतान, अन्य किसी कार्यवाही के लिये प्रतिबन्ध के रूप में नहीं होगा या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा, जो कि इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध विधिपूर्वक की जा सकती हो.

नियम 37-ट-अनुज्ञप्ति और लेखा पेश करना — इस अध्याय के अन्तर्गत पी.एस.-2 अनुज्ञप्ति धारित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये तुरन्त अपनी अनुज्ञप्ति और लेखा पेश करेगा और वह दिन या रात के दौरान किसी भी समय इस अनुज्ञप्ति में दिये गये स्थान या परिसर में प्रवेश करने से ऐसे किसी अधिकारी को नहीं रोकेगा.

नियम 37-ठ-विवरणियां देना— इस अध्याय के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारित करने वाला पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी एवं अधिकृत भण्डारण भाण्डागारों के भण्डारण भाण्डागार अधिकारी ऐसी विवरणियां और जानकारी देगा/देंगे जैसा कि समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपेक्षा की जाय.

नियम 37-ड-बचत का व्ययन (Disposal)— इस अध्याय के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या समाप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी के पास बचत पोस्ता भूंसा के व्ययन के लिये निम्न लिखित शर्तें लागू होंगी—

(क) यदि अनुज्ञप्तिधारी ने उन्हीं वस्तुओं के लिये नयी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिया हो जिसे कि पुरानी अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर शीघ्र प्रभावशील होना है और उसी स्थान या परिसर के लिये प्रदान किया गया हो तब वह नयी अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिये बचत पोस्ता भूंसा के भंडार को रोक कर रख सकता है;

(ख) यदि अनुज्ञप्ति धारी की नयी अनुज्ञप्ति भिन्न स्थान या परिसर के लिये हो तो पुरानी अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर शीघ्र ही ऐसे व्यक्ति के पास जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिये सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा नियुक्त करे, अपने पोस्ता भूंसा का भंडार जमा कर देगा और उस स्थान से नए स्थान पर केवल उपनिरीक्षक के पद से कम के न होने वाले आबकारी अधिकारी के द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के अन्तर्गत के सिवाय उनको नहीं हटायेगा.

(ग) यदि अनुज्ञप्ति धारी को कोई अन्य अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई हो तो वह अपने बचत पोस्ता भूंसा के भण्डार को खण्ड (ख) में उपबन्धित के अनुसार जमा कर देगा और आबकारी विभाग के जिला अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से पोस्ता भूंसा के अन्य अनुज्ञप्ति धारी के पास एक साथ जमा कर सकता है. तब भंडार, उप निरीक्षक से कम श्रेणी के न होने वाले आबकारी अधिकारी के द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के अन्तर्गत ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के स्थान या परिसर में परिवहित कर दिया जायेगा. पहले अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति में, अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपने बचत पोस्ता भूंसा को व्ययन करने नें असमर्थ होने पर, व्यक्ति जिसको बदले में नई अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो या यदि ऐसी नई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई हो तो अन्तर्गत ऐसे मूल्य पर, जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी निश्चित करें और ऐसी मात्रा में जो उस मात्रा से अधिक न हो जिसे आबकारी विभाग के जिला अधिकारी, दो माह में उसके द्वारा साधारणतया बिक्री योग्य होना निर्धारित करे, वस्तु के खरीदने की अपेक्षा कर सकता है.

परन्तु यह कि यदि पोस्ता भूंसा उपयोग के लिये अनुपयुक्त हो तो उसकी सम्पूर्ण मात्रा या यदि उसकी मात्रा अयुक्तियुक्त रूप से अधिक है तो अतिरिक्त मात्रा अनुज्ञापन प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत नष्ट किया जा सकता है. इस नियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के फलस्वरूप भुगते गये किसी नुकसान के लिये अनुज्ञप्तिधारी कोई प्रतिकर के लिये अधिकारी नहीं होगा.

[(घ) खण्ड (ख) तथा (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी/आबकारी विभाग के जिला अधिकारी द्वारा पी.एस.-2 के [illegible] अनुज्ञप्तिधारी को, उसकी अनुज्ञप्ति की समाप्ति/रद्दकरण पर उसके पास अतिशेष पॉपी-स्ट्रा के स्टाक को अन्य [illegible] के किसी भी थोक पॉपी-स्ट्रा के अनुज्ञप्तिधारी को अंतरण करने हेतु अनुज्ञात या निर्देशित किया जाएगा.]

नियम 37-ढ-रेलवे प्राधिकारी या यातायात [illegible] — कोई भी रेलवे प्राधिकारी या परिवहन एजेन्सी पर प्रतिबन्ध-रेलवे प्राधिकारी या परिवहन एजेन्सी—

(क) पोस्ता भूंसा या पोस्ता भूंसा [illegible] करने [illegible] जो सील बन्द न हो और इस सम्बन्ध में सशक्त कार्यालय से परिवहन पास सहित न हो, नहीं खरीदेगा [illegible]

(ख) पोस्ता भूंसा या पोस्ता भूंसा समाविष्ट करने वाली दवा निम्न के सिवाय नहीं ले जायेगा—

(i) पहुंच स्थान तक रेल कर्मचारी या परिवहन एजेन्सी कर्मचारी की सीधे अभिरक्षा में, और

(ii) उस पास में विहित मार्ग के अनुसार.

नियम 37-ण-पोस्ता भूंसा का औषधीय उपयोग—

(1) अपने स्वत: के उपभोग के प्रयोजन के लिए पोस्ता भूंसा रखने की इच्छा करने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप पी.एस.6 में आवेदन-पत्र आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को अनुज्ञा के लिए देगा.

(2) उपनियम-(1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर आबकारी विभाग के जिला अधिकारी ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि आवेदित की गई अनुज्ञा प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है तब प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 100 रुपये फीस संदाय किये जाने पर पी.एस. 7 में अनुज्ञा प्रदान करेगा, परंतु यह कि ऐसी कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी—

(क) केवल नियम 37 त में उपबन्धित रीति में चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्ररूप पी.एस. 8 में प्रमाण-पत्र पेश करने के सिवाय;

(ख) 21 वर्ष की आयु के अन्तर्गत के व्यक्ति को;

(ग) आवेदन पत्र पेश करने की तिथि के ठीक पूर्व भारत के किसी भाग में पोस्ता भूंसा के लिए इसी प्रकार की अनुज्ञा या रजिस्ट्रेशन कार्ड धारित करने वाले व्यक्ति को;

(घ) ऐसे व्यक्ति को जो औषधीय प्रमाण-पत्र जारी करने के 60 दिन के बाद औषधीय प्रमाण-पत्र सहित अनुज्ञा के लिए आवेदन किया हो.

नियम 37-त-रीति जिसमें चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके— उस जिले का चिकित्सा अधिकारी, जहां पोस्ता भूंसा का आदि (व्यसनी) निवास करता है, चिकित्सीय आधारों पर स्वत: के उपभोग के लिए पोस्ता भूंसा के कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को (एतद्पश्चात् आवेदक कहा गया है) छूट देने के लिए उसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए इस नियम में विहित की गई प्रक्रिया अपनायेगा.

(i) चिकित्सा अधिकारी आवेदक को उसके स्वत: के आवेदन पर या आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के निर्देश पर परीक्षण करेगा;

(ii) आवेदक का चिकित्सीय परीक्षण, आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा अन्यथा निर्देशित किये जाने के सिवाय, इस सम्बन्ध में शासन के द्वारा नियुक्त स्थान में होगा या चिकित्सा अधिकारी के मुख्यालय पर होगा;

परन्तु यह कि आवेदक जो 60 वर्ष की आयु से अधिक का हो या जो चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने आपको पेश करने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो तो उसके निवेदन पर और आबकारी विभाग के जिला अधिकारी की सिफारिश पर चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदक के निवास स्थान पर परीक्षित किया जा सकेगा.

(iii) चिकित्सा अधिकारी, आवेदक की परीक्षा करने के बाद और इस अध्याय के उपबन्धों पर विचार करने के बाद, प्ररूप पी.एस.7 में स्पष्ट रूप से और विस्तृत रूप से अपनी राय इस सम्बन्ध में अभिलिखित करेगा कि क्या आवेदक चिकित्सीय आवश्यकता के रूप में पोस्ता भूंसा उपयोग करने के लिए अपेक्षित है, यदि ऐसा है तो उसकी मात्रा प्रमाण-पत्र में दी जायेगी. ऐसा प्रमाण पत्र केवल पोस्ता भूंसा के आदी (व्यसनी) को ही प्रदान किया जायेगा जो उससे पोस्ता भूंसा वापस लिये जाने से यदि वह उसे उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उसे अपूरणीय क्षति होगी;

(iv) चिकित्सा अधिकारी, आवेदक की आयु, वजन, सामान्य स्वास्थ्य, चिकित्सीय इतिहास, बीमारी, पोस्ता भूंसा लेने की आदत की अवधि और अन्य किसी विषय जैसा कि वह आवश्यक समझे, विचार करेगा और आवेदक की सहमति और खर्च पर ऐसी जांच करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे. चिकित्सा अधिकारी, उपयोग प्रयोजनों के लिए, आवेदक के द्वारा दिये गये किसी ब्यान या आवेदक के द्वारा उसके व्यक्तिगत चिकित्सा सलाहकार के द्वारा पेश किसी तथ्य या टिप्पणी पर भी विचार करेगा;

(v) चिकित्सा अधिकारी, प्ररूप पी.एस. 9 में तीन प्रतियों में चिकित्सा परीक्षण का अभिलेख तैयार करेगा और एक प्रति आवेदक को देगा, जबकि एक प्रति सम्बन्धित आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को अग्रेषित करेगा और एक प्रति अपने कार्यालय के स्थायी अभिलेख के लिये रखेगा;

(vi) चिकित्सा अधिकारी, यथास्थिति, चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में या आवेदक के निवास में चिकित्सा परीक्षण के लिए क्रमश: 50 रुपये और 125 रुपये भारित करेगा. ऐसे फीस उस चिकित्सा अधिकारी के द्वारा रख लिया जायेगा जो आवेदक का परीक्षण करता है;

(vii) खण्ड (iii) के अन्तर्गत प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, आबकारी विभाग के जिला अधिकारी, ऐसी मात्रा के लिए जैसा कि चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सिफारिश की जाय और ऐसी रीति में जैसा कि नियम 37-ण में दिया गया है, प्ररूप पी.एस.7 में आवेदक को अनुज्ञा देगा.

परंतु यह कि पोस्ता भूंसा की मात्रा उत्तरोत्तर एवं आप ही आप प्रत्येक तिमाही में 1/8 की कमी की जायेगी और यह अनुज्ञा में स्पष्ट रूप से दिया जायेगा;

परंतु यह आगे और कि जहां चिकित्सा अधिकारी के द्वारा खण्ड (iii) के अंतर्गत प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र से असहमत होने के कारण आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के पास हों तो वह अपने कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास मामले को सन्दर्भित कर देगा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कम-से-कम एक औषधि विशेषज्ञ को समाविष्ट करते हुए तीन डॉक्टरों का चिकित्सा मंडल (Medical Board) गठन करेगा जो कि मामले का पुन: परीक्षण करेगा और आबकारी विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा संदर्भित किये जाने के तीस दिनों के भीतर जिला आबकारी अधिकारी को अपनी रिपोर्ट देगा. तीस दिनों की अवधि के दौरान खण्ड (iii) के अन्तर्गत प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदक को प्ररूप पी.एस. 10 में अस्थायी अनुज्ञा दी जायेगी.

नियम 37-थ-वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए पोस्ता भूंसा.—

(1) कोई व्यक्ति जो मान्य विश्वविद्यालय का अनुसंधान विद्यार्थी (Research Scholar) हो या अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी या वैद्य हो और जो नियम 37-ङ के उपनियम (3) के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार अयोग्य न हो वह वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए आवश्यक पोस्ता भूंसा प्रदान करने के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकता है. वह अपने आवेदन-पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, आयु, निवास स्थान, व्यवसाय यदि हो, प्रयोजन और मात्रा जिसमें पोस्ता भूंसा की आवश्यकता हो, लिखते हुए पेश करेगा.

(2) ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद, आबकारी अधिकारी ऐसी जांच करेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे.

(3) यदि आबकारी आयुक्त, आवश्यकता की सत्यता और प्रयोजन जिसके लिए पोस्ता भूंसा की जरूरत के संबंध में सन्तुष्ट हो तो आवेदक जहां रहता है उस जिले के निकटतम भण्डारण भाण्डागार से पोस्ता भूंसा प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है.

(4) उपनियम (3) में उपबन्धित पोस्ता भूंसा प्राप्त करने के पूर्व आवेदक सम्बन्धित आबकारी विभाग के जिला अधिकारी की सन्तुष्टि के लायक इस बात का बन्धपत्र निष्पादित करेगा कि उपनियम (1) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को पेश उसके आवेदन में जो प्रयोजन दिया गया है इसी प्रयोजन के लिए आवेदित पोस्ता भूंसा का उपयोग किया जायेगा. आबकारी विभाग के जिला अधिकारी जमानत प्राप्त कर सकता है जैसा वह उचित समझे. पोस्ता भूंसा के दुरुपयोग पर आवेदक अभियोजित किया जायेगा जैसे कि वह पोस्ता भूंसा के अनधिकृत कब्जे में था. जमानत के रूप में राशि राज्य सरकार को राजसात हो जायेगी.

नियम 37-द-अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा का नवीनीकरण.—

(1) इस अध्याय के अन्तर्गत एक बार प्रदत्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा जो इन नियमों के अन्तर्गत रद्द नहीं की गई हो, आवेदन दिये जाने पर, इस अध्याय के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा के लिए विनिर्दिष्ट फीस पटाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के द्वारा नवीनीकरण की जा सकेगी. ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के पूर्व पेश किया जायेगा.

(2) यदि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा विकृत, या गुम या नष्ट हो गई हो तो अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि वह आवश्यक समझे, पचास रुपये फीस के भुगतान पर अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा की दूसरी प्रति दे सकता है.

नियम 37-ध-अभिवहन भत्ता—

(क) अभिवहन के दौरान चढाने, उतारने तथा हैंडलिंग में कारित होने वाली पॉपी-स्ट्रा की वास्तविक हानि के लिए नीचे दिये गये उपनियम (ख) या (ग) में उल्लिखित दर पर अभिवहन भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा. संगणना का आधार परिवहन या निर्यात की गई पॉपी-स्ट्रा की वास्तविक मात्रा होगी.

(ख) जिले के भीतर परिवहन के लिए पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी से भण्डारण भाण्डागार तक, छीजन (वेस्टेज) की अधिकतम सीमा एक प्रतिशत होगी.

(ग) जिले के बाहर पॉपी-स्ट्रा के समस्त परिवहनों या उसके निर्यात के लिए छीजन (वेस्टेज) की अनुज्ञेय सीमा 2 प्रतिशत होगी.

(घ) उपरोक्त नियम (ख) या (ग) के अधीन विहित की गई सीमा से अधिक कमी की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे अधिक छीजन पर ऐसी दर से, जो सौ रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक न हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, इसके अतिरिक्त वह अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा या ऐसे रद्दकरण के बदले में इन उपनियमों के भंग का प्रशमन कर सकेगा.

(ङ) उप नियम (ख) एवं (ग) के अधीन विहित की गई सीमा से अधिक कमी की दशा में भण्डारण भाण्डागार अधिकारी द्वारा अधिक कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.

नियम 37-न-भण्डारण हानि तथा विचलन का मार्जिन—

(1) पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारण किये गये पॉपीस्ट्रा का स्टॉक रखने, थप्पियां लगाने, पॉपी-स्ट्रा को पीसने, जलवायु में परिवर्तन आदि के कारण भण्डारण हानि की अधिकतम सीमा 4 प्रतिशत तक होगी.

(i) इसी प्रकार अधिकृत भण्डारण भाण्डागार के भाण्डागार अधिकारी द्वारा भण्डारण किये गये पॉपीस्ट्रा के स्टाक को रखने, थप्पियां लगाने तथा जलवायु में परिवर्तन आदि के कारण भण्डारण हानि की अधिकतम सीमा 2 प्रतिशत तक होगी.

(ii) अनुज्ञेय सीमा की गणना, अनुज्ञप्तिधारी/भण्डारण भाण्डागार अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान प्राप्त की गई पॉपी-स्ट्रा की कुल मात्रा पर की जाएगी.

(2) पी.एस.-2 अनुज्ञप्तिधारी भण्डारण के भाण्डागारों के पास भण्डारित पॉपी-स्ट्रा के वजन में वर्षा/शीत ऋतु में नमी सोखने के कारण वृद्धि हो सकती है. इसलिए वर्षा/शीत ऋतु के दौरान अनुज्ञप्तिधारी/भण्डारण भाण्डागार के भाण्डागार अधिकारी द्वारा धारित अतिशेष पॉपी-स्ट्रा के स्टाक पर विचलन का मार्जिन 01 प्रतिशत तक अनुज्ञात है.

(3) उप नियम (1) के अधीन विहित की गई सीमा से अधिक कमी की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अधिक भण्डारण हानि पर ऐसी दर से, जो सौ रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक न हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा. इसके अतिरिक्त वह अनुज्ञप्ति भी रद्द या ऐसे रद्दकरण के बदले में उप नियम (1) के भंग का प्रशमन भी कर सकेगा.

(4) उप नियम (1) (i) के अधीन विहित की गई सीमा से अधिक कमी की दशा में भण्डारण भाण्डागार अधिकारी द्वारा अधिक कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा.

(2) उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2012 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

स्वापक औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम 1985 अंतर्गत प्ररूप पी.एस. 1 से पी.एस.10 तक में संशोधन

[प्ररूप पी.एस.1]

——विलोपित——

[प्ररूप पी.एस.–2]

(नियम 37 घ देखें)

(पॉपी–स्ट्रा) के थोक प्रदाय/विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेस (छत्तीसगढ़) नियम 1985 के नियम 37–घ के खण्ड (एक) के अधीन यह अनुज्ञप्ति....................को ....में स्थित अपने अनुज्ञप्त परिसर में, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची–1 में वर्णित है, पॉपी–स्ट्रा का थोक प्रदाय/विक्रय करने के लिए तथा जिसका.............रूपये अनुज्ञप्ति फीस के फलस्वरूप दिनांक......................से दिनांक.............. ..तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन मंजूरी की जाती है।

1. अनुज्ञप्तिधारी, नीचे दी गई अनुसूची–1 में यथावर्णित अपने अनुज्ञप्त परिसर से ही अपने कारोबार का संव्यवहार करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी, समस्त ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए सभी संव्यवहारों का प्रतिदिन का सही लेखा रखेगा। लेखा निम्नलिखित फार्मट में रखा जायेगा।

तारीख	प्रारंभिक अतिशेष	प्राप्त की गई मात्रा	कहां से प्राप्त की गई	कुल मात्रा 2+3	निर्यात/परिवहन की गई मात्रा	परिवहन/निर्यात अनुज्ञापत्र का ब्यौरा	जमा की गई परिवहन फीस/निर्यात शुल्क का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

किसको विक्रय किया गया	अंतिम अतिशेष कॉलम 5–6	टिप्पणियां	हस्ताक्षर
(9)	(10)	(11)	(12)

3– पीसे हुए रूप में /चूरे के रूप में पॉपी–स्ट्रा को ऐसे मानक बोरों (गनी बैक्स) जिसमें प्रत्येक में ऐसी मात्रा होगी, जैसी कि आबकारी आयुक्त, द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाये, अनुज्ञप्त परिसर में भंडारित /स्टाक किया जायेगा उसका ठीक–ठाक लेखा निम्नलिखित प्ररूप में रखा जायेगा :–

तारीख	आरंभिक अतिशेष	उपयोग किये गये कच्चे (बिना पीसे हुए) पॉपी–स्ट्रा की मात्रा	अभिप्राप्त की गई चूर्ण पॉपीस्ट्रा की मात्रा	कुल मात्रा 2+4	निर्यात की गई/परिवहन की गई मात्रा	परिवहन/निर्यात अनुज्ञापत्र के ब्यौरे	जमा की गई परिवहन/निर्यात फीस के ब्यौरे	किसको परिवहन/निर्यात किया गया	अंतिम अतिशेष	टिप्पणियां	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

4. अनुज्ञप्तिधारी, अनुसूची–1 में वर्णित अनुज्ञप्त परिसर से भिन्न किसी भी अन्य स्थान पर पॉपी–स्ट्रा नही रखेगा। समस्त व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्त डिपो, जिनमें ऐसी पॉपी–स्ट्रा भण्डारित की जाएगी।

5. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसरों में पॉपी–स्ट्रा को दल सकेगा या उसकी पिसाई कर सकेगा अथवा उसका चूर्ण कर सकेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुज्ञा से इस प्रयोजन के लिए वहां मशीने संस्थापित कर सकेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी, केवल अधिकृत भण्डारण भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी को पॉपी–स्ट्रा का प्रदाय/विक्रय करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये समस्त अनुदेशों का पालन करेगा।

8. इस अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटेन्सेस (छत्तीसगढ़) नियम 1985 के किसी

भी उपबंध या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी निदेश का भंग होने पर यह अनुज्ञप्ति रद्द करने के दायित्वाधीन होगी। अनुज्ञापन प्राधिकारी, इस अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के बदले में रूपये 50000/– से अनधिक की धनराशि प्रशमन के तौर पर स्वीकार कर सकेगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची–1
प्ररूप

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण	अनुज्ञप्त परिसरों की सीमाएं			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुज्ञापन प्राधिकारी

[प्ररूप पी.एस.2–क]

—–––विलोपित—–––

[प्ररूप पी.एस. 3]

—–––विलोपित—–––

[प्ररूप पी.एस. 4 प्रतिपर्ण]

(नियम –37–च और छ देखे)
अन्तर्राज्य आयात/अन्तर्राज्य निर्यात पास

कमांक.........................

(जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाने वाला)

..................निवासी................जिसकी रायपुर/बिलासपुर में पी. एस.–2 अनुज्ञप्त डिपो है। उसको ....क्विंटल पोस्ता भूंसा...............निवासी...................जिला.................................राज्य ....से/को अपने अनुज्ञप्त परिसर को/से अन्तर्राज्य आयात/अन्तर्राज्य निर्यात करने के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है।

यह पास ....दिनों के लिए ही प्रभावशील रहेगा।

परेषण (माल) निम्नलिखित मार्ग से ले जाया जायेगा।

(कृपया यहां मार्ग का उल्लेख करे।)

स्थान.......................
दिनांक..................................

अनुज्ञापन प्राधिकारी या
प्राधिकृत अधिकारी
(सील)

शर्ते

(1) पोस्ता भूंसा सुरक्षित रूप से पैक किया जायेगा और उप निरीक्षक की श्रेणी से कम न होने वाले आबकारी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण और सील बंद किया जायेगा।
(2) माल (Bulk) अभिवहन में खोला नही जायेगा।
(3) परेषण (माल) जहां से वह गुजरे, उप निरीक्षक से कम न होने वाले किसी आबकारी अधिकारी के द्वारा परीक्षण योग्य होगा।

पेकेज की संख्या	पेकेज का वर्णन	पेकेज का निशान	पोस्ता भूसा का वजन	पेकेज का कुल वजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[प्ररूप पी.एस. 4 मूल]

(धारा 37 च और छ देखे)
अन्तर्राज्य आयात/अन्तर्राज्य निर्यात पास

कमांक.........................

(अन्तर्राज्य आयात/अन्तर्राज्य निर्यात के जिले के कलेक्टर को अग्रेषित किया जाने वाला)

...................निवासी...................जिसकी रायपुर/बिलासपुर में पी.एस.–2 की अनुज्ञप्त डिपो है। उसको .... क्विंटल पोस्ता भूंसा.............................निवासी......................जिला.................................राज्य ....से/को अपने अनुज्ञप्त परिसर को/से अन्तर्राज्य आयात/अन्तर्राज्य निर्यात करने के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है – परेषण (माल) केवल निम्न मार्ग से ले जाया जायेगा।

(कृपया यहां मार्ग का उल्लेख करे।)

स्थान.....................................
दिनांक..................................

अनुज्ञापन प्राधिकारी या
प्राधिकृत अधिकारी
(सील)

शर्तें

(1) पोस्ता भूंसा सुरक्षा पूर्ण पेक किया जायेगा और उप निरीक्षक की श्रेणी से कम न होने वाले आबकारी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं सील बंद किया जायेगा।
(2) माल (Bulk) अभिवहन में खोला नही जायेगा।
(3) माल जहां से वह गुजरे, उप निरीक्षक से कम न होने वाले किसी आबकारी अधिकारी के द्वारा परीक्षण योग्य होगा।

पेकेज की संख्या	पेकेज का वर्णन	पेकेज का निशान	पोस्ता भूसा का वजन	पेकेज का कुल वजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[प्ररूप पी.एस. 4 द्विपर्ण]

(नियम –37–च एवं छ देखे)

कमांक.........................

(अन्तर्राज्य आयातक/अन्तर्राज्य निर्यातक को दिया जाने वाला)

.............निवासी...............जिसकी................में अनुज्ञप्त दुकान है, उसको..............क्विंटल पोस्ता भूंसा..................निवासी...................... जिला.................................राज्य.............................से/को अपने अनुज्ञप्त परिसर को/से अन्तर्राज्य आयात/अन्तर्राज्य निर्यात करने के लिए
निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है।
यह पास ....दिनों तक वैध रहेगा।
माल निम्नलिखित मार्ग से ले जाया जायेगा।

(कृपया यहां मार्ग का उल्लेख करे।)

स्थान.....................................
दिनांक..................................

अनुज्ञापन प्राधिकारी या
प्राधिकृत अधिकारी
(सील)

शर्तें

(1) पोस्ता भूंसा सुरक्षा पूर्ण पेक किया जायेगा और उप निरीक्षक की श्रेणी से कम न होने वाले आबकारी अधिकारी के द्वारा

(2) माल (Bulk) अभिवहन में खोला नही जायेगा।
(3) माल, जहा से वह गुजरे, उप निरीक्षक से कम न होने वाले किसी आबकारी अधिकारी के द्वारा परीक्षण योग्य होगा।
(प्ररूप पी.एस. 4 का पृष्ठ भाग अन्तर्राज्य निर्यात करने वाले सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा भरा जायेगा।)

पेकेज की संख्या	पेकेज का दर्णन	पेकेज का निशान	पोस्ता भूसा का वजन	पेकेज का कुल वजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अन्तर्राज्यीय आयात करने वाले प्राधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र–

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस पास के अतर्गत प्राप्त माल का मैने परीक्षण किया है और पाया है कि मूल में दिये विवरण से यह सभी प्रकार संगत है।

दिनांक ....

आयात करने वाले राज्य के
जिला आबकारी अधिकारी या
अन्य सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर / सील

[प्ररूप पी.एस. 5]

(नियम –37 ज–1 देखिए)
परिवहन अनुज्ञापत्र (चार प्रतियों में)

प्रथम भाग : (जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाएगा.)

द्वितीय भाग : (प्रदायकर्ता पी.एस.–2 अनुज्ञप्तिधारी को दिया जाएगा)

तृतीय भाग : (परेषिती को दिया जायेगा, यह परिवहन के दौरान परेषण के अंतर्गत होगा)

चतुर्थ भाग : (उस अधिकारी को भेजा जाएगा जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा)

श्री................को जो प्ररूप पी.एस.–2 में जिला रायपुर/बिलासपुर में वित्तीय वर्ष .... के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता है, को ....क्विंटल पॉपी–स्ट्रा .... जिला के ....भण्डारण भाण्डागार तक परिवहन करने की अनुज्ञा दी जाती है। यह अनुज्ञापत्र ....तक विधिमान्य होगा। परेषण का उसके अनुज्ञप्त परिसर में सीधे परिवहन किया जायेगा।

आबकारी विभाग
का जिला अधिकारी
(सील)

[प्ररूप पी.एस. 5 ए]

(नियम –37 ज–6 देखिए)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक..................... दिनांक..................

(तीन प्रतियों में)

प्रथम भाग : (जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाएगा)
द्वितीय भाग : (प्रदाय प्राप्त करने वाले भण्डारण भाण्डागार अधिकारी को दिया जाएगा)
तृतीय भाग : (उस कार्यालय को भेजा जाएगा जो परिवहन अनुज्ञा –पत्र जारी करेगा)

प्रति,

जिला. अधिकारी
आबकारी विभाग
जिला ....

भण्डारण भाण्डागार ....से प्रदाय हेतु आपके जिले में स्थित पी.एस.–2 थोक **डिपो** के अनुज्ञप्तिधारी श्री .... से .... क्विंटल पॉपीस्ट्रा परिवहन किया जाना है। यदि आपके द्वारा उपरोक्त उल्**लेखित मात्रा** के लिए **परिवहन** अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही होगी। यह अनापत्ति **प्रमाण पत्र**......................................**तक** विधिमान्य होगी।

आबकारी विभाग
का जिला अधिकारी
(सील)

[प्रारूप पी.एस.–6]

(नियम 37 ण(1) देखें)

व्यक्तिगत उपभोग के लिये पोस्ता भूंसा रखने के लिये आवेदन–पत्र

प्रति,

जिला अधिकारी
आबकारी विभाग
जिला ....

महोदय,

मै ....(पूरा नाम पिता/पति के नाम सहित) आयु .... निवासी ....(पूरा पता) **व्यवसाय** (यदि कोई हो) ....निवेदन करता हूँ कि मेरे सद्भावपूर्वक व्यक्तिगत उपभोग के लिए पोस्ता भूंसा रखने के लिए 31 मार्च 20......... को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञा प्रदान की जावे/नवीनीकृत की जावे।

(2) अनुज्ञा प्रदानं करने के लिए रूपये 100 फीस के रूप में जमा करता हूँ।

(3) क्योकि मै पोस्ता भूंसा का आदी (व्यसनी) हूँ मेरे सद्भावपूर्वक व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिमाह मुझे............ किलोग्राम पोस्ता भूंसा की जरूरत है।

(4) मेरे पास .... किलोग्राम के लिये राशन कार्ड हैं जिसका कं. .... है। मेरे पास राशन कार्ड नही है।

(5) मै पोस्ता भूंसा की आदत से छुटकारा पाने के लिये ऐसा उपचार, जैसा कि चिकित्सा अधिकारी के द्वारा विहित किया जाय, लेने के लिए जिम्मा लेता हूँ।

(6) मै पंजीकरण प्रमाण–पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करूंगा।

स्थान ....
दिनांक ....

....
आवेदक के हस्ताक्षर

[प्रा... ...स.–7]

(नियम 37 ण (2) देखें)

अनुज्ञा क्रमांक ....

छत्तीसगढ़ के .... जिले में

व्यक्तिगत उपभोग के लिये पोस्ता भूंसा कब्जा रखने के लिये अनुज्ञा

(क) (1) अनुज्ञाधारी का नाम ....

(2) पिता का नाम / पति का नाम ....

(3) पूरा नाम ....

(4) धंधा ....

(ख) प्रयोजन जिसके लिये अनुज्ञा (व्यक्तिगत उपभोग के लिये) प्रदान की गई है ....

(ग) चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के संदर्भ में ....

(1) उस चिकित्सा अधिकारी का नाम एंव ....पता जिसने प्रमाण पत्र दिया ....

(2) प्रमाण पत्र की तारीख ....

(3) प्रतिमाह सिफारिश किये गये पोस्ता भूंसा की मात्रा

(4) व्यक्तिगत पहचान 1....................1.

अनुज्ञाधारी के चिन्ह जैसा कि 2....................2

चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया 3....................3

गया हो

अनुज्ञा, स्वापक औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का सं.–61) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत और अध्यधीन रहते हुए ....निवासी को (एतद्पश्चात् अनुज्ञाधारी के रूप में सन्दर्भित किया जावेगा) रूपये...........फीस के भुगतान पर उसको निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए पोस्ता भूंसा को रखने और परिवहित करने के लिये प्राधिकृत करते हुये अनुज्ञा प्रदान की जाती है —

शर्तें

(1) यह अनुज्ञा .... से .... तक (दोनों दिन शामिल करते हुए) प्रभावशील रहेगी।

(2) अनुज्ञाधारी यथा संभव शीघ्र आबकारी विभाग के सम्बन्धित आबकारी अधिकारी के समक्ष उसके प्रतिहस्ताक्षर के लिए इस अनुज्ञा को प्रस्तुत करेगा और किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा की प्राप्ति से एक माह से अधिक देर नही करेगा।

(3) (1) अनुज्ञाधारी किसी भी एक माह के दौरान .... किलोग्राम से अधिक पोस्ता भूंसा प्राप्त नही करेगा बशर्ते कि आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुसार अनुज्ञा की अवधि के दौरान यह मात्रा घटाई जा सकती है।

(2) अनुज्ञाधारी किसी भी समय में.................................. किलोग्राम पोस्ता भूंसा कब्जे में नही रखेगा।

(4) (1) अनुज्ञाधारी, स्वापक औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का सं.–61) तथा उसके अध्यधीन बने नियमों के अन्तर्गत अधिकृत भण्डारण भाण्डागार के सिवाय किसी अन्य स्थान से अपने पोस्ता भूंसा की पूर्ति प्राप्त नही करेगा।

(2) अनुज्ञाधारी, उसके द्वारा खरीदे गये पोस्ता भूंसा को वह आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत भण्डारण भाण्डागार से ले जाता / ले जाती है उसके पूर्व डिपो के भण्डारण भाण्डागार अधिकारी से अनुज्ञा के पृष्ठ भाग में खरीदी का विवरण प्रविष्ट करायेगा।

(5) इस अनुज्ञा के अन्तर्गत पोस्ता भूंसा, अनुज्ञाधारी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग नही किया जायेगा और न प्रयोजन जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है उसके सिवाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा।

(6) इस अनुज्ञा के अन्तर्गत पोस्ता भूंसा, के परिवहन और कब्जे की प्रदत्त सुविधायें वही तक विस्तारित होंगी जहाँ तक वे इस अनुज्ञा के अनुसार उसके उपयोग के लिए आनुषांगिक हों।

(7) उनकी अनुज्ञा अहस्तान्तरणीय होगी और प्रदान करने वाले अधिकारी के द्वारा किसा भी समय रद्द की जा सकती है :–

(क) अनुज्ञाधारी के द्वारा देय किसी फीस के भुगतान न किये जाने के लिए।

(ख) इस अनुज्ञा में विहित शर्तो में से किसी शर्त के अनुज्ञाधारी द्वारा व्यतिक्रम के लिये या उल्लंधन के लिये।

(ग) यदि उसका धारक, आबकारी, राजस्व, मदिरा, पोस्ता भूंसा या मादक द्रव्य से सम्बन्धित विधि के विरूद्व किसी अपराध में सिद्वदोष ठहराया जाय।

(घ) यदि अनुज्ञाधारी, स्वापक औषधियाँ एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का सं.–61) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों मे से किसी को भंग करता है।

(ड.) यदि प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई थी वह अस्तित्वविहिन हो गई हो।

8. यदि अनुज्ञा के उसकी अवधि के दौरान अभ्यर्पित (Surrender) करने या रद्द किये जाने की स्थिति में या उसकी समाप्ति के बाद नवीनीकृत न किये जाने की स्थिति में, पोस्ता भूंसा का उपयोग न किया गया पूरा भण्डार शीघ्र ही संबंधित भण्डारण भाण्डागार अधिकारी को या अनुज्ञा प्रदान करने वाले अधिकारी को जैसा कि अनुज्ञापन अधिकारी के द्वारा आदेशित किया जाय, अभ्यर्पित किया जायेगा।

आज दिनांक ....को प्रदान किया गया।

अनुज्ञाधारी के हस्ताक्षर या बांये हाथ का अगूंठा निशान	अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

प्रतिहस्ताक्षर

आबकारी विभाग का आबकारी अधिकारी

(अनुज्ञा का पृष्ठ भाग)

दि. ....से दि. .... तक अनुज्ञाधारी के द्वारा पोस्ता भूंसा की खरीदी का विवरण ....

दिनांक	चालू माह में खरीदे जाने के लिए अनुमत पोस्ता भूंसा की कुल मात्रा	खरीदे गये पोस्ता भूंसा	चालू माह की प्रथम तारीख से खरीदे गये पोस्ता भूंसा की मात्रा का चालू योग	चालू माह में अनुमत मात्रा और चालू (स्तंभ 4) के बीच अंतर	भण्डारण भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

[प्ररूप पी.एस.–8]

(नियम 37 ण(2) देखें)

व्यक्तिगत उपभोग के लिए पोस्ता भूंसा का कब्जा रखने के लिए आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करने की सिफारिश करने वाले चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा मण्डल से प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री./श्रीमती/कुमारी.................(पूरा नाम).......................जो अपने कथन से ....
........वर्ष आयु का है/की है निवासी..(पूरा पता) अपने कथन और परीक्षण पर पोस्ता भूंसा के उपयोग करने का आदी होना पाया गया/पायी गयी।

आवेदक/आवेदिका कथन करता है/करती है कि वह ....से ग्रस्त है और परीक्षण पर वह................से (बीमारी का वर्णन) ग्रस्त होना पाया गया, किसी असाध्य या पीड़ादायक बीमारी का चिन्ह नही है।

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा मण्डल इस राय का है कि कथित श्री/श्रीमती/कुमारी.................को चिकित्सीय आवश्यकता के रूप में उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए पोस्ता भूंसा की आवश्यता है, और सिफारिश करता है कि उसे, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि ....किलोग्राम सिफारिश की गई कुल मात्रा का 1/8 की कटौती प्रत्येक तिमाही में कथित मात्रा में की जाएगी.........................किलोग्राम से अधिक न होने वाली मात्रा में प्रतिमाह....................माहों की अवधि के लिए पोस्ता भूंसा का उपयोग की अनुमति दी जाय।

(2) उपर नामांकित श्री/श्रीमती/कुमारी का व्यक्तिगत पहचान चिन्ह जैसा कि प्रमाणित है निम्न है :–

(1) ....

(2) ....

(3) ....

उपर नामांकित श्री/श्रीमती/कुमारी..................................की फोटोग्राफ प्रमाणित की गई है और इस संबंध में उसकी घोषणा उसका प्रतिनिधित्व करती है, वह फोटोग्रफ के पृष्ठ भाग में हस्ताक्षरित कर दी गई है।

(1) ....

(2) ....

स्थान (पता सहित)

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
या
जिला.......................के, के लिए
चिकित्सा मण्डल के सदस्यों का पद
नाम सहित हस्ताक्षर

(1) यह प्रमाण पत्र, उस क्षेत्र के लिए, जिसमें आवेदक निवास करता हो और पोस्ता भूंसा प्राप्त करने की इच्छा करता हो, नियुक्त चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा मण्डल के द्वारा ही दिया जाएगा।

(2) अव्यस्क को कोई प्रमाण पत्र नही दिया जाएगा।

(3) असहमति की स्थिति में, असहमत सदस्य अपनी टिप्पणी प्रमाण पत्र के नीचे नोट में लिख सकता है।

[प्ररूप पी.एस.–9]

(नियम 37 त (v) देखें)

चिकित्सा परीक्षण का अभिलेख

(1) परीक्षार्थी का नाम एवं पता ....
(2) आयु ....
(3) लिंग ....
(4) वजन ....
(5) ब्लड प्रेशर ....
(6) (क) सामान्य शारीरिक परीक्षण. ....
(ख) (1) यह प्रदर्शित करने के लिए कि परीक्षार्थी पोस्ता भूंसा उपयोग करने का आदी है का साक्ष्य यदि कोई हो ....
(2) वजन की कमी के लिए साक्ष्य यदि हो...................
(3) किसी बीमारी की विद्यमानता जिसके लिए परीक्षार्थी को पोस्ता भूंसा उपयोग की आवश्यकता हो (कृपया बीमारी का नाम लिखे ओर) क्या वह असाध्य या पीड़ादायक बीमारी है लिखें..
(7) अवधि जिसके लिए आवेदक पोस्ता भूंसा ....उपयोग का आदी है
(8) परीक्षार्थी की व्यक्तिगत चिकित्सा सलाहकार के द्वारा पोस्ता भूंसा की मात्रा और उसके द्वारा ऐसी सिफारिश के लिए दिये गये कारण...

(9) चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा मंडल के द्वारा प्रतिमाह सिफारिश किये गये पोस्ता भूंसा की मात्रा और परीक्षार्थी के द्वारा पोस्ता भूंसा, का उपयोग या उपभोग की सिफारिश या अस्वीकार करने के कारण ....

(10) कोई अन्य टिप्पणियां ....

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
या
................क्षेत्र के लिए
चिकित्सा मण्डल के सदस्यों
के हस्ताक्षर पदनाम सहित

[प्ररूप पी.एस.–10]

(नियम 37 त (vii) का द्वितीय परन्तुक देखें)

.................................जिला छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत उपभोग के लिए पोस्ता भूंसा को कब्जा में रखने के लिए अस्थायी अनुज्ञा –

(क) (1) अनुज्ञाधारी का नाम ....
(2) पिता/पति का नाम..
(3) स्पष्ट आयु ....
(4) पूर्ण पता ....
(5) धंधा ....

व्यक्तिगत उपभोग के लिए, प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा दी गई चिकित्सा प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में।

(1) उस चिकित्सा अधिकारी का नाम और पता
जिसने प्रमाण पत्र प्रदान किया ....
(2) प्रमाण पत्र का दिनांक आदि ....
(3) प्रतिमाह सिफारिश किये गये पोस्ता भूंसा की
मात्रा ....
(4) अनुज्ञाधारी के व्यक्तिगत पहचान चिन्ह जैसा कि चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो.........
(5) ऊपर (1) के अंतर्गत प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण सहित स्थायी अनुज्ञा के लिए आवेदन नियम 37–त के खण्ड (vii) के अंतर्गत चिकित्सा मण्डल को संदर्भित ....

पत्र कमांक....................दिनांक .... के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को दि. ....से दि. ....तक को स्वीकृत मात्रा/यह अस्थायी अनुज्ञा, स्वापक औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का सं.–61) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अध्यधीन रहते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी..........................को (एतद्द्वारा अनुज्ञाधारी के रूप में संदर्भित किया जायेगा) ....फीस के भुगतान करने पर उसे प्ररूप पी.एस. 6 में स्थायी अनुज्ञा के साथ संलग्न शर्तो के अध्यधीन रहते हुए पोस्ता भूंसा के कब्जा रखने एवं परिवहित के लिए प्राधिकृत करते हुए, यह अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

आज दिनांक............201 ....प्रदान की जाती है।

अनुज्ञाधारी के हस्ताक्षर
या बांये हाथ के अंगूठे
का निशान

अनुज्ञा प्रदान करने वाले
प्राधिकारी का हस्ताक्षर
और पदनाम

प्रतिहस्ताक्षरित
आबकारी विभाग का संबंधित
आबकारी अधिकारी

स्थान.............................

दिनांक.........................